Govt. of National Capital Territory of Delhi Office of the Commissioner Food Supplies and Consumer Affairs K-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi – 110002 (Coordination Branch)

e-mail:-fsocoordination@gmail.com

File No. F.3(15)/DLA/Coord/F&S/2022/052

Date: -25-03-2022

To

The Dy. Secretary (Question Branch), Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi-54

Sub: - Delhi Legislative Assembly Starred Question No. 40 asked by Shri Rajesh Gupta, MLA due for answer on 28/03/2022.

Sir,

With Reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above question, duly authenticated by the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Rajesh Āhuja) Asstt. Commissioner, F&S

File No. F.3(15)/DLA/Coord/F&S/2022/052

Date: 25-03-2022

Copy for information:

Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Starred question of distribution of the House.

विभाग का नाम:- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का पता:- के-ब्लॉक विकास भवन, आईपी इस्टेट नई दिल्ली-110002

तारांकित प्रश्न संख्या: 40 दिनांक: 28.03.2022

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री राजेश गुप्ता क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:

The state of the s	
प्रश्न	उत्तर
(क्र) राशन कार्ड धारकों को उचित दर दुकानों से पूरा राशन न मिलने के क्या कारण है;	इस तरह की शिकायतों को दूर करने हेतु e-Pos लागू किया गया है जिसमे राशन कार्ड धारक को राशन की पात्रता व उसे प्राप्त करने की रसीद भी जारी की जाती है
(अ) दो वर्ष से भी अधिक समय से नए राशन कार्डों से लंबित रहने के क्या कारण है;	दिल्ली में लाभार्थियों कि संख्या 7277995 जो कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है । कार्ड जारी करना/ लाभार्थियों का नाम जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है जो कि रिक्तियों कि उपलब्धता के अनुसार निरंतर किया जाता है।